भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3968

(दिनांक 06.04.2023 को उत्तर के लिए)

सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्स नौकरियां

3968. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आउटसोर्स नौकरियों में आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है;

(ख) कुल कितने कार्यों को आउटसोर्स नौकरियों के जरिए कराया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि आउटसोर्स नौकरियों में ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर धन की बंदरबाट और कर्मचारियों को कम वेतन दिए जाने की शिकायतें रहती है;

(घ) क्या जिन कार्यों में लंबी अवधि हेतु आउटसोर्स नौकरियों की आवश्यकता है उन पर स्थायी नियुक्ति पर मंत्रालय विचार करेगा; और

(ङ) वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उक्त कार्यों हेतु स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): सरकार में रिक्त पदों को सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर भरा जाता है। हालांकि, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (जीएफआर 2017) के नियम 177 से 206, परामर्शी सेवाओं और गैर-परामर्शी सेवाओं को किराये पर लेने (हायरिंग) का उपबंध करते हैं।

निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी समन्वय समिति, सरकार द्वारा 2006 में गठित की गई थी। पहली समन्वय समिति की बैठक में, यह कहा गया था कि सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति अर्जित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका उद्योग द्वारा स्वयं स्वैच्छिक रूप से कार्रवाई करना है। तदनुसार, शीर्ष उद्योग संघों, नामतः भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोसिऐटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ऐंड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (ऐसोचैम) और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री (डीआईसीसीआई) ने शिक्षा, नियोजनीयता और उद्यमिता पर केन्द्रित अपनी सदस्य कंपनियों के लिए समावेशिता अर्जित करने के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) तैयार की है। उद्योग संघ के सदस्यों द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्तियां, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कोचिंग इत्यादि शामिल हैं।

ऐसी किराये की सेवाओं से संबंधित ऐसी किन्हीं शिकायतों हेतु फर्मों/ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकरण अधिकृत है।